- 13. मैंने निश्चित स्थानों के बीच चलने वाली किसी सरकारी बस में निर्धारित किराया देकर (स्टीमर को छोड़कर) ऐसी सड़क-यात्राएँ नहीं की है जिनके लिए अनुपूरक नियमावली 46 के अंतर्गत विहित मील भत्ते के लिए उच्च दर की माँग की गई है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने किसी वाहन में बिना निर्धारित किराया या वाहन का चालन खर्च दिए बिना यात्राएँ नहीं की है।

 I did not perform road journeys for which mileage allowance has been claimed at the higher rates prescribed in Rule 46 of the Supplementary Rule by taking a single seat in any public conveyance
 - I did not perform road journeys for which mileage allowance has been claimed at the higher rates prescribed in Rule 46 of the Supplementary Rule by taking a single seat in any public conveyance (excluding a steamer) which plies regularly for hire between fixed point and charges fixed rates. I also certify that the journey was not performed in any other vehicle without payment of its hire charges or incurring its running expenses.
- 14. मैंने इंडियन एयरलाइन्स/ एयर इंडिया के द्वारा खरीदे गए टिकट के लिए एक्सचेंज अर्डार माँगकर उधार सेवा का उपयोग किया है/नहीं किया है।
 - I availed myself of/did not avail of credit facilities for booking my air passage with the Indian Airlines Corporation/Air India International by requisition through an Exchange order.
- 15. मैंने अपने लिये आरक्षित करायी गई जगह पर यात्रा की है तथा मेरे साथ किसी अन्य अनधिकृत व्यक्ति ने उस आरक्षित डिब्बे में यात्रा नहीं की है।
 - I travelled by reserved accommodation by rail requisitioned (H.O.R) for me and no non-entitled persons travelled with me in the requisitioned accommodation/and the following persons.
- 16. मुझे यात्रा भत्ता बिल में दर्शाई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता, प्राप्त नहीं हुआ था/अग्रिम की रू.

 राशि प्राप्त हुई थी, जिसका समायोजन इस बिल में कर दिया गया है।

 I have been paid/not paid T.A. advance of Rs.

 for the journeys shown in the T.A. bill and the amount is adjusted in this bill.
- 17. विविध खर्च के अंतर्गत मील-भत्तो की माँग नहीं गई है। No mileage has been claimed in petty contingencies.
- 19. प्रमाणित किया जाता है कि नगर सीमा के अंतर्गत की गई स्थानीय यात्राओं के लिए मेरे निवास स्थान तथा अस्थायी इयुटी स्थल के बीच की दूरी मेरे सामान्य इयूटी स्थल की दूरी घटाने के बाद आठ किलोमीटर से कम है।
 In respect of local journey within municipal limits it is certified that the total distance travelled to reach the temporary duty point minus the distance from my residence to the normal place of duty is more than eight kilometers.

पुनश्च: जो लागू न हो उसे काट दें।

N.B.: Certificates which are inapplicable should be struck off.